डा0 राम मनोहर लोहिया अवध वि0वि0, फैजाबाद

दिनांक : 29.05.2017

प्रेस विज्ञप्ति (निःशुल्क प्रकाशनार्थ)

सी0पी0एम0टी0–2016 फीस रिफण्ड के लिए खाता विवरण अपलोड करने से छूट गए अभ्यर्थियों तथा बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित किए खाता विवरण को दुरुस्त करने के लिए खोली गई सी0पी0एम0टी0 साइट

सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा के संदर्भ में प्रथम चरण की फीस वापसी प्रक्रिया के लिए सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर खाता विवरण अपलोड करने से छूट गए अभ्यर्थियों के साथ–साथ बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित किए गए खाता–विवरण को दुरुस्त करने के लिए 29 मई 2017 से 20 जून 2017 तक एक बार पुनः सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर तदसंबंधी अभ्यर्थियों के लिंक खोले जा रहे हैं।

सी0पी0एम0टी0 के राज्य नोडल अधिकारी (पदेन) तथा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक एस0एल0 पाल ने बताया कि उक्त संदर्भ की सूचना अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है।

ज्ञात हो कि सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 145288 अर्ह अभ्यर्थियों मे से मात्र 133039 अभ्यर्थियों ने फीस वापसी हेतु अपने बैंक खाते का विवरण सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर अपलोड किया था। अवशेष रह गए 12249 अभ्यर्थियों को अपने खाते का विवरण सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए इन अभ्यर्थियों से संबंधित लिंक दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक खोलते हुए इन्हें अपने खाता विवरण को अपलोड करने के लिए एक बार पुनः किन्तु अन्तिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

इसी क्रम में सी0पी0एम0टी0–2016 परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के अतिरिक्त 496 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा तो किया था किन्तु आवेदन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण न करने के कारण उनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया था। विश्वविद्यालय विधि परामर्शी की विधिक राय तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.04.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार इन 496 अभ्यर्थियों को भी फीस वापसी की प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा इनके लिए भी सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर इनसे संबंधित लिंक को खाता विवरण अपलोड करने के लिए दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक खोला जा रहा है।

उक्त के क्रम में ज्ञात हो कि फीस वापसी की प्रक्रिया हेतु 54571 अभ्यर्थियों ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया से संबंधित खातो ंका विवरण सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर अपलोड किया था। प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया में बैंक के प्री–ट्रान्जेक्शन तथा पोस्ट–ट्रान्जेक्शन साफटवेयर द्वारा इनमे से अनन्तिम रुप से 2404 खातों को विभिन्न कारणों से त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया है। इन सभी अभ्यर्थियों के लिंक को खोलते हुए दिनांक 29 मई 2017 से दिनांक 20 जून 2017 तक सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर अपने खातों से संबंधित विवरण को एडिट/परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

उक्त के क्रम में राज्य नोडल अधिकारी ने यह भी बताया कि फीस वापसी की प्रक्रिया हेतु 78468 अभ्यर्थियों ने अन्य बैंको (Other Bank) से संबंधित खातों का विवरण सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर अपलोड किया था। प्रथम चरण की फीस वापसी की प्रक्रिया में बैंक के प्री– ट्रान्जेक्शन साफ्टवेयर द्वारा अनन्तिम रुप से 4789 खातों को त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को अपने खातों से संबधित विवरण को दुरुस्त करने के लिए लगभग सप्ताह भर में इनसे संबंधित लिंक भी सी0पी0एम0टी0 वेबसाइट पर खोले जायेंगे। बैंक के पोस्ट–ट्रान्जेक्शन साफ्टवेयर द्वारा घोषित त्रुटिपूर्ण खातों का विवरण बैंक द्वारा अभी उपलब्ध कराया जाना शेष है। बैंक के पोस्ट–ट्रान्सेक्शन साफ्टवेयर द्वारा जिन खातों को त्रुटिपूर्ण घोषित किया जाएगा उनसे संबंधित सूचना पृथक रुप से सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों को अपने खातो संबधित विवरण को दुरुस्त करने की सुविधा पृथक रुप से प्रदान की जाएगी।

राज्य नोडल अधिकारी ने यह भी बताया कि उपरोक्त प्रकार के अभ्यर्थियों के ही वेबलिंक सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर खोले जा रहे हैं। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके खातों में प्रथम चरण की धनराशि सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो चुकी है उनके वेबलिंक सी0पी0एम0टी0–2016 वेबसाइट पर किसी भी दशा में नहीं खुलेंगे। राज्य नोडल अधिकारी ने यह भी बताया कि शासन द्वारा परीक्षा तैयारियों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय के संबंध में प्रतिपूर्ति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शासन से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होते ही अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की धनराशि वापस किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

मीडिया प्रभारी